HARI BHOOMI, Delhi, 28.10.2024
Page No. 4, Size:(8.23)cms X (7.01)cms.

पीड़ित ने महिला आयोग व एनएचआरसी में की शिकायत

विकलांग का आरोप, अदालत में अपील लंबित है फिर भी नानादग्राम पुलिस ने फ्लैट में जड़ा ताला

हरिभूमि न्यूज ⏭ गाजियाबाद

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसमें थाना नंदग्राम पुलिस पर जिला जज की अदालत में अपील लंबित होने के बाद भी एक विकलांग व्यक्ति के फ्लैट में दरवाजा तोड़ने उसकी पत्नी का स्त्रीधन लूटने और गाड़ी से अपहरण करने का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस इस तरह के किसी घटना से इनकार कर रही है। अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि वरुण मल्होत्रा अजनारा सोसायटी में रहते हैं। जो जिला जज की अदालत में अपील लंबित है। मल्होत्रा किसी काम से बाहर गए हुए हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रविवार को उनके पर नंदग्राम पुलिस ने हमला करके दरवाजा तोड़ दिया और उनकी उनकी पत्नी का आदि भी लूट लिए इतना ही नहीं वरुण की पत्नी और उसके नाबालिग लड़की व लड़के का गाड़ी से अपहरण भी कर लिया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ ऐसा दूसरी पार्टी पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से फ्लैट में ताला भी लगा दिया। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत महिला आयोग व राष्ट्रोय मानवाधिकार आयोग में भी की है।

STATESMAN, Bhubaneswar, 28.10.2024
Page No. 3, Size:(24.90)cms X (16.62)cms.

NHRC seeks report on Ramayana stage show mishap

STATESMAN NEWS SERVICE
BHUBANESWAR, 27 OCTOBER:

The National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Superintendent of Police of Odisha's Ganjam district to furnish a report regarding injury sustained by ten minor children due to electric shock during performance of during Ramayana stage show.

The rights panel taking note of human rights lawyer Radhakanta Tripathy's complaint sought for compliance of a report within next eight weeks.

The complainant alleged that the victims, 10 children between the age of 7 to 12 years sustained injuries during Ramayana stage show.

The show was being held at Phasiguda village in Digapahandi Tehsil of the district. The villagers had organized the show in view of the inauguration of the village temple. However, some parts of the area near the stage got electrically charged, leaving the kids injured.

"On a perusal of complaint, it is observed that the allegations leveled in the complaint are of serious violations of the human rights of the victims. Hence, the Registry is directed to send a copy of the complaint to the Superintendent of Police, District Ganjam, Odisha for appropriate action and submitting an Action Taken Report within 8 weeks positively, failing which the Commission would be constrained to invoke coercive steps u/s 13 Protection of Human Rights Act, 1993", the top rights panel stated in an order.

DAINIK BHASKAR, Dhanbad, 28.10.2024
Page No. 10, Size:(9.17)cms X (10.44)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद् ने झरिया विधायक को किया सम्मानित

झरिया | राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद् ने रविवार को झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को कतरास मोड़ स्थित कार्यालय पर स्मृति चिह्न एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। जिलाध्यक्ष लखन विश्वकर्मा ने कहा कि झरिया विधायक की कार्यशैली से हम सब प्रभावित हैं। महासचिव अशोक पांडेय ने कहा विकास कार्यों ने पूरे झरिया को एक नया भविष्य मिला है। विधायक ने कहा कि मैंने झरिया के विकास का जो बीड़ा उठाया है उसे हर हाल में पूरा करना है। अब तक जो वायदे हमने किए थे, उसे पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ पूरा किया है और आगे के कार्यों के लिए भी प्रतिबद्ध हूं। मौके पर परिषद् के मीडिया प्रभारी उमेश सिंह, झरिया सचिव राकेश गुप्ता, श्याम प्रसाद, मनोरजंन सिंह, बबलू कुमार आदि मौजूद थे।

AMAR UJALA (MY CITY), Lucknow, 28.10.2024
Page No. 6, Size:(16.58)cms X (9.99)cms.

सुहाग उजड़ गया...ये कागज के टुकड़े किस काम के

व्यापारी मोहित की मां को विधायक ने एक लाख की मदद दी तो पत्नी सुषमा ने बयां किया अपना दर्द

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। चिनहट की नई बस्ती जैनाबाद निवासी व्यापारी मोहित पांडेय की मां को बीकेटी से भाजपा विधायक योगेश शुक्ला ने एक लाख रुपये की मदद दी तो पत्नी सुषमा उन पर बिफर पड़ीं। उन्होंने आक्रोश भरे लहजे में कहा मेरा सुहाग उजड़ गया... अब ये कागज के टुकड़े मेरे किस काम के। सुषमा ने यह कहते हुए विधायक के दिए रुपये मोहित के शव पर रख दिए। विधायक योगेश शुक्ला विरोध-प्रदर्शन के दौरान यहां पहुंचे थे। उन्होंने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पुलिस अभिरक्षा में व्यापारी की मौत का मामला

मोहित। (फाइल फोटो)

इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया और शव घर भिजवा दिया। शाम को पुलिस की मौजूदगी में भैंसाकुंड में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि, परिजन एक करोड़ रुपये मुआवजा, मोहित की पत्नी को सरकारी नौकरी और आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं।

पति मोहित पांडेय के शव पर नोटों की गड्डियां रखकर आक्रोश जतातीं सुषमा। फोटो : मोहम्मद इमरान (संवाद)

मंत्री आवास के पास प्रदर्शन करते व्यापारी के परिजन। -संवाद

मृतक की मां तपेश्वरी देवी की पुलिस से हुई हाथापाई। -संवाद

■ **पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं :** डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रविवार को डॉक्टरों के पैनल से कराया गया। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। डॉक्टरों ने हृदय व विसरा सुरक्षित रखा है। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार सुधीर अवस्थी को दी गई है। रविवार को वे चिनहट थाने पहुंचे और जांच शुरू की।

■ **सिर, हाथ, कमर में चोट के निशान मिले :** वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मोहित के सिर, हाथ, कमर और पीठ पर चोट के निशान हैं। इनको लेकर सवाल पर डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह का कहना है कि ये निशान थाने आने से पहले हुई मारपीट के हैं।

■ **चिनहट थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की हो रही जांच :** पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सिंह सेंगर ने इंस्पेक्टर चिनहट अश्वनी कुमार चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया है। उनकी जगह पर गाजीपुर थाने में तैनात दरोगा भरत कुमार पाठक को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। चिनहट थाने में तैनात और पुलिस वालों की भूमिका की जांच की जा रही है। जल्द ही और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

■ **मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला :** पुलिस अभिरक्षा में मौत के दूसरे मामले में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की गई है। अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव ने इस मामले में मानवाधिकार आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है।

■ **फॉरेंसिक जांच के लिए सील की गई हवालात :** डीसीपी शशांक सिंह ने बताया कि फोरेंसिक जांच के लिए कुछ घंटे के लिए चिनहट थाने की हवालात को सील किया गया था। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम की जांच पड़ताल के बाद हवालात को खोल दिया गया।

■ **सीबीआई जांच कराने की मांग की : वंशराज दुबे :** आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने बयान जारी कर कहा कि पुलिस हत्यारी हो गई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ पुलिस की कस्टडी में दो हफ्ते पहले ही एक दलित युवक को इतना पीटा गया कि उसकी थाने के अंदर ही मौत हो गई। अब चिनहट निवासी मोहित पांडेय की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। पुलिस हिरासत में मौत के मामले में यूपी अब नंबर वन हो गया है। उन्होंने लखनऊ की घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की। (ब्यूरो)

ये है घटना

चिनहट के नई बस्ती जैनाबाद निवासी व्यापारी मोहित पांडेय का शुक्रवार को सप्लाई का काम देखने वाले गोंडा निवासी आदेश से विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। शिकायत पर पुलिस पुलिस मोहित और आदेश को चिनहट थाने ले गई थी। पुलिस ने दोनों का शांतिभंग में चालान कर दिया था। शनिवार दोपहर हवालात में मोहित की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में उनकी मां तपेश्वरी ने आदेश, उसके चाचा, इंस्पेक्टर चिनहट अश्वनी चतुर्वेदी और अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था।

DAINIK JAGRAN, Lucknow, 28.10.2024
Page No. 3, Size:(20.90)cms X (12.86)cms.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि, इंस्पेक्टर निलंबित

- पुलिस हिरासत में मरने वाले कारोबारी का बिसरा सुरक्षित किया गया
- परिजन ने गोमतीनगर स्थित मंत्री आवास के सामने घंटों किया प्रदर्शन
- इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार को सौंपी गई जांच, एसीपी करेंगे प्रारंभिक जांच

जासं, लखनऊ: चिनहट कोतवाली में पुलिस कस्टडी में पिटाई से हुई कारोबारी मोहित पांडेय की मौत के मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। विसरा सुरक्षित किया गया है। उधर, रविवार को पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सेंगर ने चिनहट कोतवाली के इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया। उनकी जगह दारोगा भरत पाठक को चिनहट थाने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं, देर रात डीसीपी पूर्वी डीएम से मजिस्ट्रेट जांच करवाने के लिए पत्र भेजा है।

रविवार सुबह मृतक के परिवारीजन ने गोमतीनगर स्थित मंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया। पोस्टमार्टम के बाद शव जैसे लाया गया, लोग आक्रोशित हो गए। वे सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने शव को खुद ही कंधा देकर घर पहुंचाया और सभी को हटाया। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया।

प्रकरण की जांच गोमतीनगर विस्तार के इंस्पेक्टर सुधीर अवस्थी को सौंपी गई है। प्रारंभिक जांच एसीपी गोमतीनगर विकास जायसवाल करेंगे। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी भेजी गई है

कारोबारी मोहित पांडेय ● फाइल

चिनहट कोतवाली के लाकअप में मोहित की तबीयत बिगड़ने पर मदद की गुहार लगाता उसका भाई (गेट पर) व हवालात में बंद एक शख्स ने मोहित की मदद करने की कोशिश की ● इंटरनेट मीडिया

15 घंटे में कुछ मिनट का जारी किया सीसी फुटेज

पुलिस ने रविवार सुबह 15 घंटे में से कुछ मिनट का सीसी फुटेज जारी किया, जिसमें मोहित कोतवाली में आता दिखता है। दूसरे में मोहित लाकअप के अंदर दिख रहा है। एक वीडियो में मोहित पीठ का दर्द बताते हुए तड़पने लगता है। साथ में बंद भाई शोभाराम और अन्य ने मदद के लिए गुहार लगाई। उसकी पीठ को रगड़ते भी दिखे। उसके बाद क्या हुआ? यह पुलिस नहीं बता रही।

मानवाधिकारों का हनन ›› संपादकीय

Jamshedpur News:जो अपने परिवार पर अंकुश नहीं लगा पाई, वो जनता को क्या सुरक्षा प्रदान करेगी – डा. अजय कुमार

https://biharjharkhandnewsnetwork.com/jamshedpur-news-pariwar-par-viswas/#google_vignette

https://newswing.com/odisha-police-did-not-take-any-action/812104/

Breaking NewsTop Storiesजमशेदपुर Last updated Oct 27, 2024

बस्ती। ईस्ट के फास्ट ने डा. अजय कुमार और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामाश्रय प्रसाद ने संयुक्त रूप से रविवार को सिदगोड़ा में मीडिया में एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया।

डा. अजय ने कहा कि रघुवर दास की बहू ने जब अपने पति ललित दास और परिवार के अन्य सदस्यों को कटाक्ष नहीं किया तो अल्पसंख्यक पूर्वी जनता को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए और उसका क्या गठन किया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है. रघुवर दास के साहबजादे की कारनामो की बात एक लंबी फेहरिस्त है। आज मैं आपको उनके कुछ कारनामों के बारे में बताना चाहता हूं।

डा. अजय ने कहा कि 7 जुलाई को ओडिशा के गवर्नर के लाल और 'आकांक्षी नेता पूर्णिमा दास' के पति ललित दास ने पुरी रेलवे स्टेशन से 'लग्गी' लेने के लिए कहा था, जो 7 जुलाई को आयोजित समारोह में शामिल नहीं हुए थे। थे। परिसर में स्थापित किया गया था. (*इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं रघुवर दास के घर से तो डूबेंगे, घुसेड़से)।

डा.अजय ने कहा कि भारतीय स्टूडियो में बैकुंठ का अपमान किया जा रहा है। यही पार्टी का किरदार है.

डा. अजय ने कहा कि ललित दास ने ओडिशा के खिलाफ कांग्रेस से सख्त कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** तक पहुंच चुका है लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। हम मानवाधिकार आयोग से भी मांग करेंगे कि वह इस मामले में ओडिशा पुलिस से शीघ्र जांच पूरी करने का ऑर्डर दे। हमारे वकील पुरी सागर बीच पुलिस से इस मामले पर हो रही जांच अपडेट अपडेट। हमारी ओडिशा कांग्रेस इस मुद्दे को ओडिशा क्षेत्र में भी मजबूत बनाएगी।

डा.अजय ने कहा कि रघुवर के परिवार में कई लोगों ने पूर्वी लोगों का जीवन नरक बना दिया है। रघुवर दास के व्यापारी और भाजपा नेता कमलेश साहू के गुंडागर्दी जगजाहिर हैं। 2023- रघुवर दास के घर तोड़-फोड़ कर गिरफ़्तारी ले जाने का मामला दर्ज हुआ।

2017 में ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास छोटे के भाई मूलचंद साहू पर एक सिख लड़के को थाने में पीटने का आरोप है। अब अल्पसंख्यकों की जनता को तय करना है.

NHRC seeks report on Ramayana stage show mishap in Odisha

https://www.thestatesman.com/india/nhrc-seeks-report-on-ramayana-stage-show-mishap-in-odisha-1503358343.html

The rights panel taking note of human rights lawyer Radhakanta Tripathy's complaint sought for compliance of a report within next eight weeks.

Statesman News Service | Bhubaneswar | October 27, 2024 6:05 pm

The National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Superintendent of Police of Odisha's Ganjam district to furnish a report regarding injury sustained by ten minor children due to electric s NHRC seeks report on Ramayana stage show mishap in Odisha hock during performance of Ramayana stage show.

The rights panel taking note of human rights lawyer Radhakanta Tripathy's complaint sought for compliance of a report within next eight weeks.

The complainant alleged that the victims, 10 children between the age of 7 to 12 years sustained critical injuries during Ramayana stage show.

The show was being held at Phasiguda village in Digapahandi Tehsil of the district. The villagers had organised the show in view of the inauguration of the village temple. However, some parts of the area near the stage got electrically charged, leaving the kids injured.

"On a perusal of complaint, it is observed that the allegations leveled in the complaint are of serious violations of the human rights of the victims. Hence, the Registry is directed to send a copy of the complaint to the Superintendent of Police, District Ganjam, Odisha for appropriate action and submitting an Action Taken Report within 8 weeks positively, failing which the Commission would be constrained to invoke coercive steps u/s 13 Protection of Human Rights Act, 1993", the top rights panel stated in an order.

PC Sharma: अंबाला के किसान परिवार से थे पूर्व सीबीआई निदेशक पीसी शर्मा, 24 को ली अंतिम सांस

https://www.aajsamaaj.com/pc-sharma-former-cbi-director-pc-sharma-belonged-to-a-farmer-family-of-ambala/

By Vir Singh -October 27, 2024

- अबु सलेम के प्रत्यर्पण में निभाई थी अहम भूमिका
- सिक्किम पुलिस डीजीपी के रूप में भी नेतृत्व किया
- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में दो कार्यकाल पूरे किए

PC Sharma News, (आज समाज), अंबाला: मुंबई धमाकों के आरोपी व गैंगस्टर अबु सलेम का पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सीबीआई निदेशक पीसी शर्मा का निधन हो गया है। वह हरियाणा के अंबाला से किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके परिवार में बेटी और दामाद (दोनों वकील) हैं।

1966 बैच के असम कैडर के आईपीएस

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार मंगलवार को 82 वर्ष की उम्र में 1966 बैच के असम कैडर के आईपीएस अधिकारी पीसी शर्मा ने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। तीन दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 24 अक्टूबर की शाम करीब 7.45 मिनट पर उनका निधन हुआ। पीसी शर्मा का बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया।

अंबाला के डीएवी कॉलेज से स्नातक

पीसी शर्मा ने अपने गांव से स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। इसके उन्होंने अंबाला के डीएवी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। 1966 में असम कैडर मिलने पर उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण जिलों/रेंजों का कार्यभार संभाला। इसके बाद वह सीबीआई में चले गए। 1978 में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना सीबीआई करियर शुरू किया। अप्रैल-2001 में पीसी शर्मा ने सीबीआई निदेशक का कार्यभार संभाला। सीबीआई में एडी से लेकर डीडी, जेडी, जेडी, एडिशनल और विशेष निदेशक तक सभी स्तरों पर काम किया। दिसंबर 2003 तक वह निदेशक रहे।

राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित

बतौर सीबीआई निदेशक पीसी शर्मा उनका ट्रैक रिकॉर्ड उत्कृष्ट रहा तथा प्रत्यर्पण से जुड़े अपराध के सबसे जटिल मामलों को उन्होंने बड़ी ही कुशलता से सुलझाया। उन्हें राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। सीबीआई का नेतृत्व करने के दौरान वे इंटरपोल के लिए भी चुने गए। इस बीच, उन्होंने सिक्किम

पुलिस का डीजीपी के रूप में नेतृत्व किया, जहां भी उन्होंने लोगों की खूब प्रशंसा और प्यार जीता। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, पीसी शर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में लगातार दो कार्यकाल पूरे किए।

दिसंबर-2022 में पत्नी रेणु का निधन

दिसंबर-2022 में उनकी पत्नी रेणु का निधन हो गया था और इसके बाद वह खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। हालांकि उनके परिवार में बेटी एडवोकेट बिहू और दामाद वरिष्ठ एडवोकेट अभिनव मुखर्जी हैं और वह उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन फिर भी वह खुद को अकेला महसूस करते थे। पीसी शर्मा अपने पोते-पोती- वरदान और आदिरा से बेहद प्यार करते थे। पीसी शर्मा को दलाई लामा ने भी अपने आशीर्वाद दिया था।

Police firing on criminals, a curious pattern in Assam

https://www.newindianexpress.com/amp/story/explainers/2024/Oct/27/police-firing-on-criminals-a-curious-pattern-in-assam

It all began after Biswa Sarma took up the chief minister's mantle. People noticed a pattern when detenus were increasingly shot at on their legs and injured by the police. A number of cases involved individuals from a certain community.

Prasanta Mazumdar

Updated:27th Oct, 2024 at 11:32 AM

GUWAHATI: The image of Assam's BJP-led government was dented after the recent rap by the Supreme Court on the alarming number of police encounters in the state. A whopping 171 cases were recorded in the first 15 months in which 56 people, including alleged militants, were killed and 139 others were wounded. A number of the cases involved individuals from a certain community.

It all began after Himanta Biswa Sarma took up the chief minister's mantle on May 10, 2021. People noticed a pattern when detenus—murder, rape accused, alleged drug dealers, cattle smugglers, etc.—were increasingly shot at on their legs and injured by the police. The police explanation invariably was that they had to open fire as the persons were attempting to flee, sometimes after snatching guns of the personnel.

Political furore

The increasing number of incidents had whipped up a political furore with the Congress alleging that the police turned "trigger-happy" under the Sarma-led government. The party feared that Assam would soon turn into a police state. Other opposition parties viewed the incidents as "open killings", alleging that petty criminals were "silenced" to protect their bosses running illegal syndicates. Almost all opposition parties questioned how these detenus could snatch rifles from trained police personnel.

In July 2021, Sarma justified the series of encounters. He had stated that shooting at criminals "should be the pattern" if they attempt to escape from custody or try to snatch guns from the police to fire at them. He also stated that the attacks on police personnel would be retaliated, adding "extreme steps" as per the law would be taken to stop such criminals.

Speaking in the Assembly, the CM had appealed to all legislators to send a message that the House is against any form of crime. He congratulated the Assam police force but asked it to not torture innocent people. "You have full operational liberty as long as you fight the criminals as per the law," he had stated.

Controversial incidents

Last July, three alleged tribal Hmar militants were killed, a day after they were arrested by the Cachar district police. The police said they were hit by bullets in crossfire during an operation against other militants and died. Their families did not believe the police version and moved the Gauhati High Court. The autopsy reports indicated the persons suffered antemortem bruises and other wounds.

In August this year, a Muslim man, accused of raping a minor Hindu girl, died in police custody. The police said they had taken him to the scene of the crime, but he attempted to flee by jumping into a pond and drowned. The deceased was cuffed at the time of the incident.

Lower court's body cam plea

While hearing a case pertaining to alleged assault on a woman constable by Gujarat MLA Jignesh Mevani, the Barpeta District and Sessions Judge had in April 2022 made some suggestions to the Gauhati High Court.

He submitted that the court can consider directing police personnel to wear body cameras while on duty and get the incidents of police encounters probed by filing a public interest litigation (PIL) suo motu. The high court, however, snubbed the District and Sessions Judge, saying he had no jurisdiction to make such remarks and observations.

Legal battle

On July 10, 2021, lawyer Arif Jwadder lodged a complaint with the **National Human Rights Commission (NHRC)** alleging that the Assam police were indulging in "fake encounters" since the installation of the Sarma-led government and sought a probe into the incidents. He alleged the police were "on an encounter spree" where alleged small-time criminals were being shot and the reason cited was that they had tried to flee police custody after snatching the service pistols of the personnel.

"…More than 20 such encounters took place and most of the persons at the receiving end were alleged drug and cattle dealers. In some of the cases, the alleged criminals died on the spot," Jwadder had written in his complaint.

Listing 10 cases, he stated that the police were "staging fake encounters with impunity" following the chief minister's statement that "policemen should shoot at the legs of criminals as permitted by law." The lawyer refused to believe the alleged petty criminals could snatch a pistol from a trained police officer.

“It cannot also be believed that an army of policemen couldn’t stop the alleged criminals from fleeing custody,” he said, adding the police were denying the right of a fair trial to the alleged criminals.

The lawyer told this newspaper he had learnt from media reports on July 11, 2021 that the Assam Human Rights Commission (AHRC) took suo motu cognisance of the incidents on July 7. “By backdating its cognisance, the AHRC stopped the NHRC from taking cognisance of my complaint, as only one commission can take cognisance,” alleged Jwadder.

He said a subsequent RTI reply revealed the AHRC sent a notice to the state government on July 12, directing it to submit an inquiry report on the incidents.

“In due course, the government submitted the reports of magisterial inquiries into 16 cases, first to the AHRC and then to the Gauhati High Court through an affidavit. I highlighted the loopholes before the court, but it did not take any cognisance,” Jwadder said.

He had filed a PIL in the high court on December 24, 2021, and during a hearing on January 3, 2022, the court asked the government to file an affidavit and issued a notice on February 25.

On September 29, the government filed an affidavit in the court stating that 171 incidents had taken place from May 2021 till August 2022 in which 56 people died and 139 were injured.

Jwadder said on January 7 the same year, the AHRC closed its suo motu petition, citing that the matter was sub-judice. “The question is, till that time, the court did not even issue any notice,” he said.

High court’s take

In an order issued on January 2023, the court said, “The basic allegation in this PIL is pertaining to the ‘fake encounters’ carried out by the police. The State has not denied the incidents but have taken a pleaded stand that all incidents of police encounters/police action are being enquired into. The petitioner has also not disputed the fact that enquiries have been conducted into the cases of police action/encounters but according to him, the enquiry conducted by the State was not as per law and by following the guidelines laid down in the case of PUCL (People’s Union for Civil Liberties) and State of Maharashtra and others. However, there is nothing on record to substantiate the said assertion.”

“…we are not inclined to entertain this PIL on the basis of the materials placed before us. It is, however, provided that the respondents shall provide all legally permissible

documents to the Writ Petitioner, including copies of FIRs/Final Report in connection with all the 171 cases of Police action, if the same is applied for by following the procedure prescribed by law," the court further stated in its order. After the court closed the PIL, Jwadder moved the Supreme Court on April 27, 2023.

Supreme Court's order

A two-judge bench, comprising justices Surya Kant and Ujjal Bhuyan ,who is from Assam, recently sought detailed information from Assam government on the investigations conducted into these encounters.

The court described the matter as "very serious" and observed that such petitions, challenging the police encounters, cannot be brushed aside as "premature". "It is a very, very serious issue. 171 incidents are alarming," the court said.

Factoids

171: Total number of incidents brought under court's attention by the Assam government. They occurred between May 2021 and August 2022

Casualties - 56 killed, 139 injured

Persons hit by bullets were mostly rape and murder accused, alleged drug and cattle dealers, etc

Details about total number of cases post-August 2022 are not available

After detenues were increasingly shot at their legs for attempting to flee, people questioned the abilities of police personnel

State's crime rate per 1 lakh population dropped to 183.1 in 2023 from 387.5 in 2019. It was a 52% decrease

Major encounters from May 2021 to August 2022

July 8, 2021: Dibrugarh cattle smuggler Mohammad Akhtar Raja Khan, alias Tiklu Khan, injured in firing while trying to flee from custody

July 3, 2021: Two arrested persons, Abul Hussain Barbhuiya alias Abu, 26, and Kamrul Islam alias Lakoi, 35, killed in police firing while allegedly trying to flee

July 7, 2021: Akhtar Raja Khan, arrested for cattle theft, shot in the leg while trying to escape

July 9, 2021: Tapan Buragohain, 26. Shot in the leg while trying to flee from police custody. Suspect in ONGC abductions

July 9, 2021: Jeharul Islam, 30. Known trafficker. Police shot him in the leg for bid to escape

July 11, 2021: Joynal Abedin, 47. Killed in police firing. Was accused of dacoity and armed robbery

July 15, 2021: Asadul Islam, undertrial in a drug peddling case, shot dead in a police encounter

July 22, 2021: Babul Deka, ULFA (I) linkman, injured in police firing

July 25, 2021: Kawsar Ahmed, a drug peddler, injured in police firing

August 22, 2021: 3 armed dacoits killed in police firing

October 18, 2021: Drug peddler Rahul Prasad grievously injured when police opened fire when he tried to escape

September 19, 2021: Fleeing robber injured in police firing, drug peddlers escape after being shot at

September 23, 2021: Arrested child killer shot in the foot by the police while trying to escape

November 21, 2021: Three accused injured in police firing in three different places while attempting to escape custody

January 15, 2022: Suspected ATM thief Mussadik Hussain injured in police firing

January 25, 2022: Suspected drug peddler shot in the foot by the police

January 22, 2022: A leader of the All Assam Students' Union shot in the foot by police in Nagaon district

January 29, 2022: Fleeing criminal Sariful Hussain, alias Moina Miya, shot in the foot by the police in Karimganj

February 17, 2022: Suspected marijuana smuggler injured in police firing in Kokrajhar

March 11, 2022: Two drug peddlers injured in police firing in Lakhimpur

March 17, 2022: Two alleged rapists killed in separate police encounters while trying to escape from custody

March 16, 2022: Biki Ali, prime accused in a rape case, shot dead by police

March 22, 2022: Accused Harindra Ram shot in the left leg by police

March 26, 2022: Criminal Kamal Gogoi alias Pappu, suffers bullet wound in his left leg in police firing while escaping custody

April 8, 2022: Drug peddling accused Jeherul Islam injured in police firing in Morigaon

April 21, 2022: Man arrested in rape case takes a bullet in his leg in police firing while trying to escape

कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. अजय कुमार ने भाजपा नेता पर उठाए सवाल

https://townpost.in/2024/10/27/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A5%89-%E0%A4%85%E0%A4%9C/

October 27, 2024

Byटाउन पोस्ट

निर्वाचन क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रघुबर दास की बहू की क्षमता पर चिंता जताई

प्रमुख बिंदु:

• कांग्रेस उम्मीदवार ने विवादास्पद घटनाओं में दास परिवार की संलिप्तता की आलोचना की

• ललित दास पर पुरी रेलवे स्टेशन पर अधिकारी से मारपीट का आरोप

• जांच की मांग के बीच मामला **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** तक पहुंचा

जमशेदपुर-जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस उम्मीदवार ने रविवार को गंभीर सवाल उठाया प्रतिद्वंद्वी की शासन क्षमताओं के बारे में.

रविवार को सिदगोड़ा में एक संवाददाता सम्मेलन में दास परिवार के आचरण के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं सामने आईं।

“जो व्यक्ति अपने घर को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह पूरे निर्वाचन क्षेत्र की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है?” डॉ. अजय कुमार ने अपनी आशंकाओं को उजागर करते हुए टिप्पणी की।

एक स्थानीय कांग्रेस नेता ने बाद में कहा, “पुरी रेलवे स्टेशन की घटना क्षेत्रीय राजनीति में एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई है।”

इस दौरान डॉ. अजय कुमार ने कहा कि ललित दास और अधिकारी बैकुंठ प्रधान से जुड़ा मारपीट का मामला अनसुलझा है।

उन्होंने कहा कि यह घटना सात जुलाई को हुई जब पुरी स्टेशन पर दास को रिसीव करने के लिए लग्जरी कारें नहीं भेजी गईं.

हालांकि, ओडिशा कांग्रेस द्वारा कड़ी कार्रवाई की मांग के बावजूद कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है.

डॉ. अजय ने कहा कि मामला न्याय की गुहार लगाते हुए **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** तक पहुंच गया है।

स्थानीय राजनीति पर प्रभाव

डॉ. अजय के मुताबिक कांग्रेस नेता इस मामले को विभिन्न मंचों पर जोर-शोर से उठाने की योजना बना रहे हैं।

डॉ. अजय कुमार ने कहा, “यह मामला दास परिवार के संबंधित व्यवहार के व्यापक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है।”

पार्टी की कानूनी टीम पुरी में जांच की प्रगति की निगरानी कर रही है।

उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा, ओडिशा कांग्रेस इस मुद्दे को राज्य विधानसभा में उठाने का इरादा रखती है।

डॉ अजय कुमार के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे और रामाश्रय सिंह भी थे.

टाटा लीज में बसे लोगों को मालिकाना पट्टा दिया जाएगा -– डा. अजय कुमार

https://jharkhandvani.in/jo-apne-privar-pr-ankush-nheen-lga-paee-vh-jnta-ko-kya-surksha-prdan-kregee-da-ajy-kumar/

Vijay Jha October 27, 2024

जो अपने परिवार पर अंकुश नहीं लगा पाई वह जनता को क्या सुरक्षा प्रदान करेगी – डा. अजय कुमार

रघुवर का लाल के कारनामे ने कर रखा है सबको हाल बेहाल

पार्टी में कोई अंतरविरोध नहीं, डा. अजय कुमार की जीत पार्टी की जीत होगी – आनंद बिहारी दुबे

जमशेदपुर- जमशेदपुर पूर्वी के कांग्रेस प्रत्याशी ने डा. अजय कुमार और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे एवं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता रामाश्रय प्रसाद ने संयुक्त रुप से आज सिदगोड़ा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को संबोधित किया.

डा. अजय ने कहा कि रघुवर दास की बहू जब अपने पति ललित दास एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर अंकुश नहीं लगा पाई है तो जमशेदपुर पूर्वी की जनता को कैसे सुरक्षा प्रदान कर पाएगी इसकी क्या गारंटी है. यह सबसे बड़ा सवाल है. रघुवर दास के साहबजादे की कारनामों की बात करें एक लंबी फेहरिस्त है. आज मैं उनके कुछ कारनामों के संबंध में आपको बताना चाहूंगा.

डा. अजय ने कहा कि 7 जुलाई को ओडिशा के राज्यपाल के लाल और 'आकांक्षी विधायक पूर्णिमा दास' के पति ललित दास ने पुरी रेलवे स्टेशन से उन्हें लेने के लिए 'लग्जरी' कारें नहीं भेजने पर राजभवन में तैनात अधिकारी बैकुंठ प्रधान के साथ पुरी में राजभवन परिसर में मारपीट किया था. (इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं रघुवर दास के घर जाओगे तो मिलेगा लात, घुसे).

डा.अजय ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स में रहे हैं बैकुंठ का अपमान सेना और सेना की जवानों का अपमान है येही बीजेपी का चरित्र है.

डा. अजय ने कहा कि ललित दास के खिलाफ ओडिशा कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ. मामला **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** तक पहुंच चुका है लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला.हम मानवाधिकार आयोग से भी अनुरोध करेंगे कि वह इस मामले में ओडिशा पुलिस से जल्दी जांच पूरी करने का आदेश दें. हमारे वकील पुरी सागर बीच पुलिस से इस केस पर हो रही जांच पर अपडेट लेंगे. हमारी ओडिशा कांग्रेस इस मुद्दे को ओडिशा विधानसभा में भी उठाएगी.

डा.अजय ने काह कि रघुवर के परिवार में बहुत लोग हैं जिन्होंने पूर्वी लोगों का जीवन नरक बना दिया है. रघुवर दास के भतीजे और भाजपा नेता कमलेश साहू की गुंडागर्दी जगजाहिर है. 2023-रघुवर दास के भतीजे कमलेश साहू पर घर में घुसकर जबरन कागजात ले जाने का केस दर्ज किया गया.

2017 में ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास के छोटे भाई मूलचंद साहू पर एक सिख लड़के को थाने में पीटने का आरोप है. अब जमशेदपुर की जनता को तय करना है.

पार्टी में कोई अंतरविरोध नहीं है डा. अजय की जीत कांग्रेस पार्टी की जीत होगी – आनंद बिहारी दुबे

आनंद बिहारी दुबे ने संवाददाताओं के द्वारा पुछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई अंतरविरोध नहीं है. यह विपक्षी पार्टी के द्वारा लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है. पार्टी ने सर्वसम्मति से डा.अजय कुमार को जमशेदपुर पूर्वी से प्रत्याशी बनाया है. डा. अजय कुमार एवं कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करना हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है. उन्होंने कहा कि इस बार पूर्वी से भारी मतों से डा.अजय कुमार की जीत होगी. डा. अजय की जीत पार्टी की जीत होगी. जनता ने मन बना लिया है कि वह आतंक एवं भय का पर्याय रहे रघुवर परिवार को फिर से सत्ता सौंपकर दोबारा आतंक औऱ भय का माहौल में जाना नहीं चाहती है.

श्री दुबे ने कहा कि मेरे अध्यक्ष समय काल में इंडिया गठबंधन सिंहभूम पूर्वी जिला की छह विधानसभा में जीत हासिल होगी यह कांग्रेस और जनता दोनों की जीत होगी

पुलिस अधिकारी नए ज्ञान को आत्मसात कर कार्यक्षेत्र में अपनाएं : डीजीपी साहू

https://dainiknavajyoti.com/article/93966/police-officers-should-assimilate-new-knowledge-and-adopt-it-in

एनएचआरसी डी जी अजय भटना गर ने कहा कि आयो ग ने एक नया ट्रेंड शुरू कि या है, जि सके तहत रा ष्ट्री य पुलि स अका दमी से लेकर देश के अलग-अलग रा ज्यों में ऐसे इंटरेक्टि व का र्यक्रम आयो जि त कि ए जा रहे हैं। जयपुर। महा नि देशक पुलि स, रा जस्था न (डी जी पी) उत्कल रंजन सा हू ने कहा कि आमजन के मा नवा धि का रों का संरक्षण और मा नवा धि का रों का नूनों पर अमल करना पुलि स बल की जि म्मेदारी है। पुलि स अधि का री मा नवा धि का रों के सम्बंध में अर्जि त नवी न ज्ञा न को आत्मसा त कर न केवल इसे फी ल्ड में अपना एं बल्कि इसे अपने अधी नस्थों के सा थ सा झा करते हुए का र्यक्षेत्र में अपना एं। डी जी पी सा हू रा जस्था न पुलि स अका दमी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगऔर रा जस्था न पुलि स के संयुक्त तत्वा वधा न में ह्यू मन रा इट्स से जुड़े वि षयों पर प्रदेश के पुलि स ऑफि सर्स के दो दि वसी य कैपेसि टी बि ल्डिं ग प्रो ग्रा म के समा पन अवसर पर मुख्य अति थि के रूप में सम्बो धि त कर रहे थे। एनएचआरसी की पहल पर देशभर में इंटरेक्टिव कार्यक्रम एनएचआरसी डी जी अजय भटना गर ने कहा कि आयो ग ने एक नया ट्रेंड शुरू कि या है, जि सके तहत रा ष्ट्री य पुलि स अका दमी से लेकर देश के अलग-अलग रा ज्यों में ऐसे इंटरेक्टि व का र्यक्रम आयो जि त कि ए जा रहे हैं। इनके मा ध्यम से पुलि स अधि का रि यों को मा नवा धि का र, मा नवा धि का र का नून और **एनएचआरसी** की का र्य प्रणा ली के बा रे में प्रशि क्षि त कि या जा रहा है, जि ससे वे प्रि वेंटिवेंटि व एस्पेक्ट्स पर फो कस कर सकें।

लखनऊ: मानवाधिकार आयोग पहुंचा पुलिस हिरासत में मौत का मामला, पत्नी ने शव के ऊपर रखे विधायक के दिए पैसे

https://www.amarujala.com/lucknow/lucknow-the-case-of-death-in-police-custody-reached-the-human-rights-commission-the-wife-kept-the-money-give-2024-10-27?pageId=2

अमर उजाला, सिटी रिपोर्टर, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 27 Oct 2024 11:01 PM IST

लखनऊ में पुलिस हिरासत में हुई मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। उधर स्थानीय विधायक के समझाने पर परिजन अंतिम संस्कार के लिए मान गए।

प्रदेश की राजधानी में पुलिस अभिरक्षा में मौत के दूसरे मामले में भी **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में शिकायत दर्ज की गई है। अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव ने इस मामले में मानवाधिकार आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की है। मोहित पांडेय और उसके भाई शोभाराम को चिनहट थाने की पुलिस ने शुक्रवार देर शाम हिरासत में लिया था। पुलिस का कहना है कि रात में अचानक मोहित की तबियत खराब हो गई और उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई । जबकि मोहित के परिजनों का आरोप है ककि मोहित की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है और मौत के बाद उसे अस्पताल लाया गया था ।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रविवार को डॉक्टरों के पैनल से कराया गया। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। डॉक्टरों ने हृदय व विसरा सुरक्षित रखा है। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार सुधीर अवस्थी को दी गई है। रविवार को वे चिनहट थाने पहुंचे और जांच शुरू की।

सिर, हाथ, कमर में चोट के निशान मिले

वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मोहित के सिर, हाथ, कमर और पीठ पर चोट के निशान हैं। इनको लेकर सवाल पर डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह का कहना है कि ये निशान थाने आने से पहले हुई मारपीट के हैं।

चिनहट थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की हो रही जांच

पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सिंह सेंगर ने इंस्पेक्टर चिनहट अश्वनी कुमार चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया है। उनकी जगह पर गाजीपुर थाने में तैनात दरोगा भरत कुमार पाठक को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। चिनहट थाने में तैनात और पुलिस वालों की भूमिका की जांच की जा रही है। जल्द ही और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

प्रदर्शन के दौरान ही बीकेटी से भाजपा विधायक योगेश शुक्ला भी पहुंच गए। उन्होंने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया और शव घर भिजवा दिया। भाजपा विधायक योगेश दोबारा मोहित के घर पहुंचे और एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी। शाम को पुलिस की मौजूदगी में भैंसाकुंड में अंतिम संस्कार कर दिया गया।

पति मर गया...ये पैसा मेरे किस काम का

व्यापारी मोहित पांडेय की मां को बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने एक लाख रुपये की मदद दी तो पत्नी ने विरोध करते हुए कहा-पति मर गया...ये पैसा मेरे किस काम का। पत्नी ने यह कहते हुए विधायक के दिए पैसे मोहित के शव पर रख दिए।

प्रदेश में है जंगलराज : प्रियंका

हिरासत में हुई मौत को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने राज्य में ऐसा जंगल राज स्थापित कर दिया है कि पुलिस क्रूरता का पर्याय बन गई है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, लखनऊ में यूपी पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में यह दूसरी मौत है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे को मार डाला। उन्होंने दावा किया कि हिरासत में मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, जहां कानून के रक्षक ही लोगों की जान ले रहे हों, वहां जनता किससे न्याय की उम्मीद रखे।